

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफ़ैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/ 7877-8067 दिनांक :- 12/9/17

आयुक्त नगर निगम समस्त
आयुक्त नगर परिषद समस्त
अधिकाधी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय:- टोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्लास्टिक कैंरी बैग्स जब्त करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ:- पर्यावरण विभाग के दिनांक-17.08.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा टोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्लास्टिक कैंरी बैग्स जब्त करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने बाबत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 26.07.2017 एवं संलग्नक की छायाप्रति प्रेषित कर से 31 मार्च-2017 तक की चाही गई सूचना वर्षवार निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर पर्यावरण विभाग को भिजवायी जानी है।

अतः आप निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर जरिये ई-मेल cedlbp@gmail.com/dlbrajasthan@gmail.com पर तीन दिन में भिजवाये जिससे पर्यावरण विभाग को सूचना भिजवायी जा सकें।

संलग्न:- प्रपत्र

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 12/9/17

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/16/ 8068-8119
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
1. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
5. जिला कलेक्टर समस्त।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
7. निजी सहायक मुख्य अभियंता निदेशालय।
8. निजी सहायक मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय।
9. उपनिदेशक क्षेत्रीय समस्त।
10. प्रोगामर निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ECPA-III/GSS-III/नि.ले.प.अप.प्र./दल सं.2/ज्ञापन/टी.आर. सं. 18 दिनांक: 10.08.2017

स्मरण-पत्र

श्रीमान निदेशक एवं उपशासन सचिव,
पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर ।



Handwritten signature and date: 22/8/17

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने का अभाव।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में लेख है कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में सम्मिलित करने हेतु "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की जा रही है जिसके लिये जब्त की गई प्लास्टिक कैरी बैग के सम्बन्ध में वांछित सूचनाएँ निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने का श्रम करे :

क्र.स.	कुल जब्त की गई प्लास्टिक/पॉलीथीन की मात्रा जिलेवार वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक	न्यायालय में दर्ज कराये गये प्रकरणों की संख्या	बंद ईकाईयों की संख्या	पेनल्टी के रूप में वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.

उक्त सम्बन्ध में उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर के अ.शा. टीप क्रमांक एफ.8 (1) /Env./99/Pt/5676 (1165) दिनांक 26.12.2012 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में आपने अपने पत्रांक : अ.शा. टीप संख्या -48(1)/पर्या./99 पार्ट -1 जयपुर दिनांक 5.2.2013 के द्वारा भिजवाई गयी थी।

प्लास्टिक कैरी बैग के सम्बन्ध में उक्त भरकर प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ भरकर उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन संख्या /टी.आर. 14 दिनांक 26.07.2017 को जारी किया गया था। जिसका प्रत्युत्तर प्रति का अभाव रहा है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम है अतः प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र प्रत्युत्तर प्रेषित करावे।

भवदीय

Handwritten signature
वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
समीक्षा :-अपशिष्ट प्रबंधन
अनुभाग :- ई.सी.पी.ए. III